

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी
(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :- 24 / 2024(पुरानी-33 / 2021)

प्रविष्टि दिनांक:- 13.03.2024(पुरानी-26.04.2021)

निर्णय दिनांक :- 10.06.2024

::-उनवान-::

1. श्री सत्यनारायण गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक।

- प्रार्थी

बनाम

1. श्री सौरभ अग्रवाल पुत्र श्री विमल कुमार अग्रवाल निवासी कॉ-ऑपरेटिव बैंक के सामने बस स्टैण्ड टोडारायसिंह जिला केकड़ी एफ0बी0ओ0 मैसर्स कनोई कॉ-ऑपरेटिव बैंक के सामने बस स्टैण्ड टोडारायसिंह जिला केकड़ी।
2. मैसर्स कनोई ट्रेडर्स कॉ-ऑपरेटिव बैंक के सामने बस स्टैण्ड टोडारायसिंह जिला केकड़ी।
3. श्री पंकज पोपटानी पुत्र श्री दयानन्द पोपटानी निवासी वार्ड नं. 16 तेली मोहल्ला कटला मस्जिद के पास केकड़ी जिला केकड़ी प्रोपरायटर मैसर्स किशन फ्लोर मिल नाई खेड़ा रोड़ केकड़ी जिला केकड़ी।
4. मैसर्स किशन फ्लोर मिल नाई खेड़ा रोड़ केकड़ी जिला केकड़ी।

- अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थिति :

- (1) परोकार सरकार उपस्थित।
- (2) विपक्षीगण सौरभ अग्रवाल एवं पंकज पोपटानी स्वयं उपस्थित।

::-निर्णय-::

दिनांक: 10.06.2024

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.12.2020 को समय 01:30 पीएम पर मैसर्स कनोई ट्रेडर्स कॉ-ऑपरेटिव बैंक के सामने बस स्टैण्ड टोडारायसिंह जिला केकड़ी पर पहुंचा। वहां श्री सौरभ अग्रवाल पुत्र श्री विमल कुमार अग्रवाल अपने मैसर्स कनोई ट्रेडर्स कॉ-ऑपरेटिव बैंक के सामने बस स्टैण्ड टोडारायसिंह जिला केकड़ी पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी, व मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी 1 | 3

सौरभ अग्रवाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री पत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

2. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड़, तेल, धी, शक्कर व मसाले के साथ दुकान के गोदाम में प्लास्टिक के 3 कट्टों में लगभग 150 मूल पैकेट पैकड अवस्था में प्रत्येक पैकेट 500-500 ग्राम बेसन (कलश ब्राण्ड) रखा हुआ था। इस बेसन (कलश ब्राण्ड) का निरीक्षण करने पर भिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री सौरभ अग्रवाल पुत्र श्री विमल कुमार अग्रवाल को गवाह के सामने फार्म नं 05 ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री सौरभ अग्रवाल पुत्र श्री विमल कुमार अग्रवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में गुड़, तेल, धी, शक्कर व मसाले के साथ दुकान के गोदाम में प्लास्टिक के 3 कट्टों में लगभग 150 मूल पैकेट पैकड अवस्था में प्रत्येक पैकेट 500-500 ग्राम बेसन (कलश ब्राण्ड) में से बेसन (कलश ब्राण्ड) के बैच नम्बर अनुपस्थित एवं पैकिंग की दिनांक अनुपस्थित थी. को ज्यों का त्यों पैकड अवस्था में 500-500 ग्राम पैक के 4 मूल पैक पैकेट वास्ते नमूना जाँच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत सौरभ अग्रवाल पुत्र श्री विमल कुमार अग्रवाल को रु 140/- अक्षरे एक सौ चालीस रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर श्री सौरभ अग्रवाल के हस्ताक्षर तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

4. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा बेसन (कलश ब्राण्ड) की खरीदशुदा 4 मूल पैक प्रत्येक 500-500 ग्राम पैक को ज्यों का त्यों एक-एक नग को नियमानुसार एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भागों में तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गौद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-2720 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मनोज पाटीदार तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-2 खांकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गौद से अच्छी तरह चिपकाकर, प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-2720 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गौद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर गवाहो के समक्ष श्री सौरभ अग्रवाल एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें तथा गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने कब्जों में लिया तथा इस समस्त कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर नमूना सील अंकित कर, गवाहों के सामने श्री सौरभ अग्रवाल को पढ कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाए।



(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

5. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।
6. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/4400 दिनांक 23.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2359/ एक्ट/2020/4400 दिनांक 16.12.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया बेसन (कलश ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार मिथ्याछाप (**MisBranded**) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।
7. हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया बेसन (कलश ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (**MisBranded**) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ति लगाया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii), एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49) का स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी सं0 1 श्री सौरभ अग्रवाल पुत्र श्री विमल कुमार अग्रवाल व अप्रार्थी सं0 3 श्री पंकज पोपटानी पुत्र श्री दयानन्द पोपटानी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 1 पर कुल शास्ति रूपये 5,000/- (अक्षरे पाँच हजार रूपये) व अप्रार्थी सं0 3 पर कुल शास्ति रूपये 5,000/- (अक्षरे पाँच हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 10.06.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
केकड़ी-राज0